UPSI010000762026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सीतापुर।
उपस्थित : आशीष जैन, एच.जे.एस.
फौजदारी निगरानी सं0 03/2026
सी.आई.एस. नं.–03 / 2026

1. श्रीराम उम्र 76 वर्ष पुत्र भोले
2. सत्य प्रकाश उम्र 45 वर्ष पुत्र विश्राम
3. सुशील उम्र 36 वर्ष पुत्र विश्राम
सर्व निवासीगण ग्राम नरसिंहपुर, मजरा सुल्तानपुर मारूफ थाना–कमलापुर, जिला सीतापुर। **प्रार्थीगण / निगरानीकर्तागण।**

बनाम

1. राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर
2. रामप्रकाश उम्र 52 वर्ष पुत्र शिवराम
3. राजकुमार उम्र 50 वर्ष पुत्र शिवराम
निवासीगण ग्राम गढ़ी करौंदी, थाना कमलापुर, जिला सीतापुर
उत्तरदाता / विपक्षीगण।

निर्णय

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी प्रार्थीगण / निगरानीकर्तागण की ओर से अन्तर्गत धारा 438 व 440 बी.एन.एस.एस. न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट, तहसील सिधौली, जनपद सीतापुर द्वारा वाद संख्या 02 / 25 टी. 20251064050036 1 अर्न्तगत धारा 164 भा0ना0सुरक्षा संहिता, राम प्रकाश बनाम श्रीराम आदि में पारित आदेश दिनॉकित 20.12.2025 के विरूद्व योजित की गयी है।

प्रस्तुत निगरानी से सम्बंधित वाद के **तथ्य** संक्षेप में इस प्रकार है कि निगरानीकर्तागण के विरूद्व उत्तरदाता / विपक्षी राम प्रकाश के द्वारा धारा 164 बी0एन0एस0एस0 के तहत प्रार्थना पत्र दिनॉक 10.11.2025 को प्रस्तुत करते हुये कथन किया कि उक्त से सन्दर्भित वाद भूमि बावत स्वामित्व का मुकदमा न्यायालय तहसीलदार के यहां विचाराधीन है। उक्त वाद भूमि पर कब्जा पूर्व से उत्तरदाता / विपक्षीगण का चला आ रहा है। जब फसल तैयार होती है तो निगरानीकर्ता फसल व कब्जा करने का प्रयास करते हैं तथा कोई न कोई गम्भीर घटना कारित करने की योजना बनाते हैं। विगत वर्ष जब फसल बोवाई के समय उत्तरदाता / विपक्षीगण से निगरानीकर्ता ने कब्जा छीनने का प्रयास किया तथा मार पीट किया तब उत्तरदाता / विपक्षीगण द्वारा दिनांक 05.12.2024 को मुकदमा प्रस्तुत किया गया, जिस पर निगरानीकर्ता / प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाब / साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने पर उत्तरदाता / विपक्षीगण के पक्ष में प्रार्थनापत्र दिनॉकित 10.11.2025 निस्तारित कर अवर न्यायालय द्वारा आदेश दिनॉकित 20.12.2025 पारित किया गया।

उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्रार्थीगण / निगरानीकर्ता द्वारा मुख्य रूप से प्रस्तुत निगरानी में इस **आधार** पर चुनौती दी गयी है कि प्रश्नगत आदेश पारित करने में विद्वान अवर न्यायालय ने न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया है। न्यायालय तहसीलदार सिधौली के आदेश दिनांक 15.12.2025

Digitally signed by Ashish Jain
Date: 2026.03.26 15:21:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,STP.

को निगरानीकर्तागण को मृतक खातेदार का निकटतम वारिस मानते हुए आदेश पारित किया गया, जो वर्तमान खतौनी में दर्ज है। उसके बावजूद भी विद्वान अवर न्यायालय ने धारा 165 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत प्रश्नगत सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश पारित किया है, जो प्रत्येक दशा में निरस्त करने योग्य है। विद्वान अवर न्यायालय ने कब्जे के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने व तहसील से आख्या माँगी गयी है उस आख्या में भी निगरानीकर्तागण का कब्जा पाया गया। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पुलिस व तहसील की आख्या की उपेक्षा करते हुए विधि–विरूद्ध आदेश पारित किया है। अवर न्यायालय का आदेश न्यायिक सिद्धान्तों के विरूद्ध पारित किया है, जिस कारण विद्वान अवर न्यायालय का आदेश निरस्त होने योग्य है। उक्त आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

बाद **तामीला** बजात खास उत्तरदाता/विपक्षी सं02 व 3 उपस्थित आये तथा उनकी ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा दाखिल किया गया किन्तु कोई आपत्ति दाखिल नही की गयी है।

निगरानीकर्तागण की ओर से **अभिलेख** सूची 4क से का0सं0 5क1 ता 4 प्रमाणित प्रति निर्णय दिनॉकित 20.12.25 अर्न्तगत धारा 164 बी0 एन0 एस0 एस0 पारित द्वारा न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट सिधौली जिला सीतापुर, का0सं06क1 ता 6 उद्वरण खतौनी, का0सं0 6क/6 ता 8 प्रमाणित प्रति नकल आदेश दिनॉकित 15.12.25 दाखिल किये गये है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत नही किये गये है।

मैने प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तरदाता/विपक्षी संख्या 1 की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 एवं विपक्षी संख्या 2 व 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता के तर्को को **सुना** गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध आदेश दिनॉकित 20.12.25 की प्रमाणित प्रति का0सं0 5क1ता4 के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत मामले में विद्वान विचारण अवर न्यायालय द्वारा उत्तरदाता/विपक्षीगण के प्रार्थनापत्र पर थाना कमलापुर एवं तहसीलदार सिधौली से संयुक्त रिपोर्ट मॉगी गयी जिसके क्रम में थानाध्यक्ष कमलापुर द्वारा दिनांक 17.12.2024 को अपनी आख्या में दोनों पक्षों में कब्जेदारी को लेकर गम्भीर विवाद होना तथा कोई गम्भीर घटना घटने तथा उभय पक्षों पर धारा 164 बी.एन.एस.एस. की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी तथा तहसीलदार द्वारा दिनांक 08.01.2025 को अपनी आख्या में उभय पक्षों के बीच कब्जेदारी का विवाद होना तथा स्वामित्व का विवाद तय होने तक उभय पक्षों को वाद भूमि पर कब्जा करने से रोकने तथा वाद भूमि पर धारा 165 बी.एन.एस.एस. की कार्यवाही का संज्ञान लेने की संस्तुति की गयी। तदुपरान्त विद्वान अवर न्यायालय द्वारा निगरानीकर्तागण/प्रतिवादी के द्वारा कोई जवाब/साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जाने पर उत्तरदाता/विपक्षीगण का प्रार्थनापत्र दिनॉकित 10.11.2025 स्वीकार कर प्रभारी निरीक्षक थाना कमलापुर तहसील सिधौली जनपद सीतापुर को आदेशित किया गया कि उक्त वाद ग्रस्त भूमि को उसका कब्जा लेकर व रखकर कुर्क करने एवं जब तक पक्षकारों के अधिकारों का या कब्जे के दावे को अवधारण करने वाली सक्षम न्यायालय की डिकी या आदेश प्राप्त न कर लिया जाय। तब तक उसे कुर्क रखे तथा किसी सभ्रान्त व्यक्ति/नायब तहसीलदार सिधौली की निगरानी में रखते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 05.01.2026 तक न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने का आदेश पारित किया गया है। उक्त आधार पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत वाद ग्रस्त भूमि के स्वामित्व के निर्धारण तक कुर्क रखने तथा निगरानी में रखने के सम्बंध में आदेश पारित किया गया है।

जिससे स्पष्ट होता है कि उत्तरदाता/विपक्षीगण के प्रार्थनापत्र दिनॉकित 10.11.2025 पर प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली बिसवॉ द्वारा प्रेषित आख्या दिनॉक 17.12.2024 अर्न्तगत धारा 164 बी.एन.एस.एस. के अनुक्रम में तहसीलदार सिधौली की आख्या दिनॉकित 08.01.2025 के आधार पर प्रकरण को दर्ज किया गया। यह भी आख्या प्रेषित की गयी कि दोनो पक्षो में स्वामित्व के सम्बंध में विवाद होने तथा तनाव होने के कारण अप्रिय घटना घटित होने तथा शान्ति भंग होने का अंदेशा है। उभय पक्षकारो को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया गया परन्तु निगरानीकर्ता/विपक्षीगण की ओर से समुचित अवसर प्रदान करने पर भी अपना पक्ष अवर न्यायालय के समक्ष नही रखे जाने तथा अवर न्यायालय के समक्ष लिखित कथन/साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जाने पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उक्त आलोच्य आदेश पारित किया गया है।

उक्त के सम्बंध में विधि व्यवस्थाओ का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि निगरानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार अत्यन्त सीमित है तथा यह केवल विधि के प्रश्न के सम्बंध में ही निगरानी न्यायालय को प्रयोग करना चाहिये न कि तथ्य के सम्बंध में **अमित कुमार बनाम रमेश चन्दर (2012) 9 ए.सी.सी.पेज 460 के मामले में** माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया है कि निगरानी न्यायालय साक्ष्य का मूल्यॉकन अथवा पुर्नमूल्याकंन नही कर सकती है तथा तथ्य के निष्कर्ष को तब तक निगरानी न्यायालय टच नही करेगा, जब तक कि अवर न्यायालय के निष्कर्ष पत्रावली पर उलब्ध तथ्यो एवं साक्ष्य के बिलकुल विपरीत न हो तथा निगरानी न्यायालय अपने किसी निष्कर्ष को अवर न्यायालय पर लागू नही करेगा।

हरिप्रकाश कसाना बनाम स्टेट आफ यू0पी02009 (5) ए.एल.जे.750 इलाहाबाद एवं नवल किशोर गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2010 (5) ए.एल.जे.338 इलाहाबाद के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि जब कोई सत्र न्यायाधीश निगरानी न्यायालय के रूप में कार्य करते हुये अवर न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है तो वह अनुचित होगा।

आशिष चडढा बनाम श्रीमती आशा कुमारी आदि ए.आई.आर.2012 सुप्रीम कोर्ट 431 के मामले में माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक निगरानी को निर्णीत करते हुये वाद की मेरिट में प्रवेश किया जब कि यह क्षेत्राधिकार मात्र विचारण न्यायालय का है किन्तु माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य का पुर्नमूल्यॉकन करते हुये अपनी राय व्यक्त की, जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर गलत पाया गया कि निगरानी न्यायालय, निगरानी को निर्णीत करते समय साक्ष्य का विश्लेषण नही कर सकता है।

जोहर बनाम मंगल प्रसाद ए.आई.आर.2008 सुप्रीम कोर्ट पेज 1165 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि निगरानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार अत्यन्त सीमित है। विचारण न्यायालय का आदेश सुसंगत साक्ष्य पर विचार किये बिना नही पाया गया तो निगरानी में साक्ष्य पर गुण दोष में प्रवेश करना तथा पूर्ण साक्ष्य का विष्लेषण कर पूर्ण मूल्यॉकन निगरानी में अनुचित पाया गया।

इस प्रकार विद्वान विचारण अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आलोच्य आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुरूप एवं विधिपूर्ण है और

निगरानी में वर्णित आधार कि प्रस्तुत मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का परिशीलन किये बगैर साक्ष्य का सही मूल्यॉकन न करके तथ्यो को उपेक्षित करते हुये आलोच्य आदेश पारित किया गया है, माने जाने योग्य नही है। उक्त परिस्थितियो में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्थाओ के आलोक में प्रश्नगत आलोच्य आदेश दिनॉकित 20.12.2025 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है। अतः निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत फौजदारी निगरानी निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आलोच्य आदेश दिनॉकित 20.12.2025 पुष्ट किया जाता है।

इस निर्णय की प्रति अविलम्ब विचारण अवर न्यायालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। निगरानी न्यायालय की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार की जाय।

दिनांक : 26.03.2026

(आशीष जैन)
सत्र न्यायाधीश,
सीतापुर।
J.O.Code-UP -2024

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवम् दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक : 26.03.2026

(आशीष जैन)
सत्र न्यायाधीश,
सीतापुर।
J.O.Code-UP -2024

अजीत.

CNR UPSI010000762026